समिति पंजीयन

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 (क्रमांक 31 सन् 1998) की धारा 8-2 (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विनियमों के अध्याधीन मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल मदरसों की प्रबंध समितियों को पंजीकृत करता है :-

<u>म.प्र. मदरसा बोर्ड में मदरसे की समितियों के पंजीयन संबंधी नियमावली</u>

1. **सदस्यता -** मुहल्ला, ग्रामीण या मस्जिद के आस-पास की बस्ती के सभी रहवासी इसके सदस्य होंगे।
2. **साधारण सभा -** साल भर में एक बार या जब क्षेत्र के लोग चाहें साधारण सभा की बैठक होगी जिसमें लिये गए निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. **प्रबंधकारिणी सभा -** माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में निर्धारित स्थल जैसा सदस्य चाहें मदरसा/समिति की बैठक होगी जिसमें अध्यक्षता सदर करेंगे और हर मामले में सामूहिक निर्णय लेकर अमल किया जावेगा। इस हेतु एक स्थाई मीटिंग पंजी संधारित की जावेगी जिस पर मदरसे की शिक्षा व्यवस्था के संबंध में आने वाली समस्या व उनके समाधान संबंधी एवं उपलब्धियों पर चर्चा की जावेगी।
4. **प्रबंधकारिणी का गठन -** मुहल्ले या क्षेत्र के लोग मिलकर निम्नलिखित पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मदरसे के हाफिज सा.(अरबी दीनियात शिक्षक) को छोडकर चयन में विशेष ध्यान रखेंगे कि समिति पदाधिकारी क्षेत्र के सबसे अधिक पढे लिखे व्यक्ति हों जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक/स्नातकोत्तर हों तथा वह क्षेत्र के सभी बच्चों को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन दे सकें। इस प्रकार उनमें से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/सह-सचिव/कोषाध्यक्ष एवं सदस्य जिनकी संख्या क्षेत्र के लोग मिलकर तय करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह मदरसे का व्यवस्थित संचालन हाफिज सा. के साथ मिल जुलकर हो, व शिक्षण कार्यों को स्वंय सम्पादित करेंगे तथा ये सदस्य एवं पदाधिकारी किसी एक ही मदरसे के लिये मान्य होंगे।
5. **प्रबंधकारिणी के अधिकार -**
   - i. सालभर का सालाना हिसाब क्षेत्र के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उसे पास कराकर एक प्रति प्रमाणित कर सील व हस्ताक्षर के साथ म.प्र.मदरसा बोर्ड को भेजें।
   - ii. समिति के संबंधित चल/अचल सम्पत्ति एवं मदरसा की व्यवस्था करना। तथा उनके लगातार विकास कर सर्वसुविधायुक्त उत्कृष्ठ बनाना।
   - iii. अन्य, यदि चाहें तो।
6. **मदरसा समिति के उद्देश्यः**
   - i. अल्पसंख्यक समुदाय के बालक/बालिकाओं में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को संचालित करना।
   - ii. बालक/बालिकाओं के लिये आवासीय मदरसों का निमार्ण करना एवं व्यवस्था करना।
   - iii. बालक/बालिकाओं को रोज़गार से जुड़ी हुई शिक्षा देना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

iv. नैतिक चरित्र एवं शारीरिक उन्नति हेतु वाचनालय, पुस्तकालय निर्माण, प्रयोग शाला कम्प्यूटर लेब, प्राथमिक स्वास्थ्य,शिक्षा,खेलकूद सामग्री एवं मैदान, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु हाल इत्यादि की व्यवस्था करना तथा मदरसा छात्रों व मदरसे का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना।

v. कोई भी व्यक्ति, जिस क्षेत्र के लिये मदरसा या समिति कार्य कर रही है या उस क्षेत्र के लोगों से सदस्यता के रुप में चन्दा प्राप्त करेगी तथा वह सभी कार्य जो देश/प्रदेश हित, मुहल्ले एवं मदरसा के विकास के लिये उचित हो, जिसके लिये प्रबंधकारिणी एक मत से फैसला दें।

vi. अन्य (यदि रखना चाहें)

....
....
....

नोट:- 1. इस नियमावली के प्रत्येक बिन्दु में आप क्षेत्रीय आवश्यकताओं के मान से परिवर्तन कर सकते हैं।

2. अगर समिति/कमेटी, वक्फ बोर्ड से नियुक्त है तो उसकी अवधि वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित रहेगी। वही मान्य की जावेगी।

3. समिति का नवीनीकरण एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के पोर्टल सेवा केन्द्र से सालभर में जब भी समिति का कार्यकाल समाप्त हो, कर सकते है। यह ध्यान रहे कि समिति आवेदन फार्म में भरी जाने वाली जानकारी सही एवं वैध हो।

4. यदि समिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते है तो समिति की बैठक आयोजित कर उसमें प्रस्ताव रखे एवं प्रस्ताव को पारित करावे तदउपरांत उस प्रस्ताव की सत्यापित प्रतिलिपि कार्यालय, म.प्र. मदरसा बोर्ड को भेजे।

5. एक समिति केवल एक ही मदरसे का संचालन कर सकेगी ।